सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

ज्येष्ठ 23, सोमवार, शाके 1944-जून 13, 2022
Jyaistha 23, Monday , Saka 1944- June 13, 2022

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

अधिसूचना

जोधपुर, अप्रेल 22, 2022

संख्या एफ.37/भूउप/2022/194 :-राजस्व ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 88 का कुल रकबा 26250 वर्गमीटर भूमि का जोधपुर मास्टर प्लान-2023 अनुसार परिधि नियंत्रण पट्टी भू-उपयोग, वर्तमान में अधिसूचित मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 अनुसार बस स्टेण्ड से जल भण्डारण प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार दिनांक 31 अगस्त, 2019 (दैनिक भास्कर) एवं दिनांक- 31 अगस्त, 2019 (राजस्थान पत्रिका) के द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये थे। उक्त प्रकरण के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। तत्पश्चात् प्रकरण प्राधिकरण स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की 162वीं बैठक दिनांक 09.09.2020 के प्रस्ताव संख्या 15 में लिये गये निर्णय के अध्यधीन आवेदित भूमि का जोधपुर मास्टर प्लान-2023 अनुसार परिधि नियंत्रण पट्टी भू-उपयोग, वर्तमान में अधिसूचित मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 अनुसार बस स्टेण्ड से जल भण्डारण प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

<u>उपान्तरण</u>

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 25 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क हेतु सड़क के मध्य से 100 फीट भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का बस स्टेण्ड प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

उक्त उपान्तरण माननीय उच्च न्यायालय में मास्टर प्लान में भू-उपयोग उपान्तरण से संबंधी विचाराधीन रिट पिटीशन संख्या 1554/04 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगा।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक- 22 अप्रैल, 2022 को जारी की गई। उक्त अधिसूचना राजस्थान राज-पत्र के असाधारण अंक एवं राज्य के दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात् ही मान्य होगी।

प्राधिकरण स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन
समिति की आज्ञा से,

राजेश वर्मा,
निदेशक आयोजना,
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।